

प्रेस नोट दिनांक 14.02.2025 जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 14.02.2026

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा पंजीकृत गैंग संख्या D-188 मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गैंगलीडर (माफिया) राजेश मिश्रा के गैंग का सदस्य, गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 25,000/- रुपये के इनामिया अभियुक्त दिनेश निर्मल के विरुद्ध माननीय न्यायलय ने NBW वारण्ट जारी किया था, को किया गया गिरफ्तार-

ईनामिया अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ में NDPS एक्ट व गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत हैं ।

अभियुक्त को थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मुन्दीपुर (रानापट्टी) उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना मानिकपुर के उ0नि0 उमेश प्रताप सिंह मय हमराह का0 रामकिशन राणा व का0 शैलेन्द्र सिंह थाना नवाबगंज द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 67/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम थाना मानिकपुर से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया 01अभियुक्त दिनेश निर्मल पुत्र लालजी निर्मल निवासी चकमोती रामओझा लाल गोपालगंज थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज हाल पता मुन्दीपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत मुन्दीपुर (रानापट्टी) उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

ईनामिया अभियुक्त का विवरण-

01. दिनेश निर्मल पुत्र लालजी निर्मल निवासी चकमोती रामओझा लाल गोपालगंज थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज हाल पता मुन्दीपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

ईनामिया अभियुक्त दिनेश निर्मल पुत्र लालजी निर्मल निवासी चकमोती रामओझा लाल गोपालगंज थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज हाल पता मुन्दीपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 146/21 धारा 8/20 NDPS ACT थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 229/22 धारा 8/20 NDPS ACT थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 84/23 धारा 323/504/506 IPC थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 67/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 उमेश प्रताप सिंह मय हमराह का0 रामकिशन राणा थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ व का0 शैलेन्द्र सिंह थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.02.2026

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता- अंतर्जनपदीय असलहा तस्कर गैंग का पर्दाफाश, 06 असलहा- 01 पिस्टल .32 बोर, 01 रिवाल्वर .32 बोर, 04 तमंचा 315 बोर व 02 मैगजीन, 08 जिन्दा कारतूस और ब्रेजा कार बरामद
प्रतापगढ़ पुलिस ने रोका अवैध असलहों का नेटवर्क अंतर्जनपदीय तस्कर और स्थानीय साथी गिरफ्तार, 06 असलहे और कार बरामद

अवैध असलहों की तस्करी करने वाले दो सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, एक अंतर्जनपदीय और एक स्थानीय तस्कर से 06 नाजायज असलहे, 02 मैगजीन व 08 जिन्दा कारतूस व 01 अदद ब्रेजा कार बरामद

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को प्रोत्साहन स्वरूप पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है।

प्रतापगढ़ 14 फरवरी 2026

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज के मार्गदर्शन एवं आईजी रेंज प्रयागराज के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के पर्यवेक्षण में अवैध असलहों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी प्रतापगढ़ श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के नेतृत्व में थानाध्यक्ष मान्धाता व चोरी अनावरण विशेष टीम द्वारा अवैध असलहों की तस्करी करने वाले अंतर्जनपदीय सक्रिय तस्कर 01.मो0 शहबाज पुत्र मो0 शरीफ निवासी ग्राम ढेमा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष व स्थानीय तस्कर 02. अनिल मिश्रा पुत्र स्व0 रामदुलार मिश्रा निवासी ग्राम पुरे तोरई थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष के कब्जे से 01 अदद नाजायज पिस्टल 32 बोर, 02 अदद मैगजीन नाजायज, 01 अदद नाजायज रिवाल्वर 32 बोर, 04 अदद नाजायज अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 04 अदद जिन्दा कारतूस पिस्टल . 32बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस रिवाल्वर .32 बोर, 02 अदद एण्ड्रायड मोबाईल फोन वीवो रंग नीला व काला व 01 अदद ब्रेजा कार नंबर यूपी 70 एचयू 4553 के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना मान्धाता में 18/2026 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट बनाम मो0 शहबाज पुत्र मो0 शरीफ व अनिल मिश्रा पुत्र स्व0 रामदुलार मिश्रा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

दिनांक 14.02.2026 को रात्रि में सर्विलांस एवं मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना मान्धाता पुलिस व चोरी अनावरण विशेष टीम द्वारा संयुक्त दबिश देकर थाना मान्धाता क्षेत्रांतर्गतग्राम हैंसी जयचन्द, यादव बस्ती में जाने वाले तिराहे के पास से 02 अभियुक्तों 01.मो0 शहबाज पुत्र मो0 शरीफ निवासी ग्राम ढेमा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष 02. अनिल मिश्रा पुत्र स्व0 रामदुलार मिश्रा निवासी ग्राम पुरे तोरई थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

हैसी जयचन्द में यादव बस्ती जाने वाले तिराहे पर सफेद ब्रेजा गाड़ी को पुलिस टीम द्वारा रोककर चालक मो० शहबाज पुत्र मो० शरीफ निवासी ग्राम डेमा थाना मान्धाता एवं उसके साथी अनिल मिश्रा पुत्र स्व० रामदुलार मिश्रा निवासी ग्राम पुरे तोरई थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ की जामा तलाशी ली गई। तलाशी में मो० शहबाज के कब्जे से 01 अदद नाजायज पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन, 04 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर तथा 01 अदद एण्ड्रायड फोन बरामद हुआ। अनिल मिश्रा के कब्जे से 01 अदद रिवाल्वर .32 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर, 01 पर्स (150 रुपये) और 01 एण्ड्रायड फोन बरामद हुआ। गाड़ी की तलाशी में चालक के बगल वाली सीट के नीचे 04 नाजायज तमंचा 315 बोर, 01 मैगजीन पिस्टल की और 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर मिले। जिसमें प्रत्येक तमंचा लगभग 8,000 से 10,000 रुपये में बेचा जाता है। असलहों की बिक्री से जीवन-यापन की बात बताई। बरामद 01 अदद ब्रेजा कार को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

पूछताछ पर अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि ये बरामद असलहे अवैध हैं। दोनो अभियुक्त अवैध असलहा तस्करी से जुड़े हुये हैं। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मान्धाता पर मुकदमा अपराध संख्या 18/2026 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. मो० शहबाज पुत्र मो० शरीफ निवासी ग्राम डेमा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।
02. अनिल मिश्रा पुत्र स्व० रामदुलार मिश्रा निवासी ग्राम पुरे तोरई थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष।

गिरफ्तार अंतर्जनपदीय अभियुक्त मो० शहबाज पुत्र मो० शरीफ निवासी ग्राम डेमा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष का अपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०स० 386/18 धारा 147, 323, 504, 506, 325, 427 भादवि थाना मांघाता जनपद प्रतापगढ़।
02. मु०अ०स० 405/18 धारा 147, 148, 308, 394, 323, 504, 506, 427, 307 भादवि थाना मांघाता जनपद प्रतापगढ़।
03. मु०अ०स० 409/18 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(5ए) एससी/एसटी एक्ट थाना मांघाता जनपद प्रतापगढ़।
04. मु०अ०स० 638/18 धारा 147, 323, 504, 506, 427 भादवि व 3(2)(5ए) एससी/एसटी एक्ट थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज।
05. 334/21 धारा 323, 504, 506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(5ए) एससी/एसटी एक्ट थाना मांघाता जनपद प्रतापगढ़।
06. 260/21 धारा 308, 323, 325, 506, 34 भादवि थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
07. मु०अ०स० 345/23 धारा 323, 504, 506, 342, 386 भादवि थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज।
08. मु०अ०स० 18/2026 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।
- 9.

गिरफ्तार अभियुक्त अनिल मिश्रा पुत्र स्व० रामदुलार मिश्रा निवासी ग्राम पुरे तोरई थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष का अपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०स० 216/15 धारा 323, 352, 354, 427 भादवि थाना जेठवारा प्रतापगढ़।
02. मु०अ०स० 18/2026 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अदद नाजायज पिस्टल .32 बोर,

02 अदद मैगजीन नाजायज,
01 अदद नाजायज रिवाल्वर .32 बोर,
04 अदद नाजायज अवैध तमंचा 315 बोर,
02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,
04 अदद जिन्दा कारतूस पिस्टल का .32 बोर,
02 अदद जिन्दा कारतूस रिवाल्वर का .32 बोर
02 अदद एण्ड्रायड मोबाईल फोन वीवो रंग नीला व काला,
02 अदद पर्स जिसमे कुल 650 रूपया नगद
01 अदद ब्रेजा कार बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 हेमन्त वर्मा, हे0 का0 अंजनी कुमार, का0 आनन्द यादव व चालक हे0का0 रतन लाल त्रिपाठी थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ ।

चोरी अनावरण विशेष टीम- हे0का0 महेश सिंह मय हमराह, का0 बृजेश सिंह, का0 सुनील यादव, का0 वीरिन्द यादव
सर्विलांस सेल- का0 संजय कुमार सिंह मय चालक हे0का0 कमलेश सिंह यादव

नोट- गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को प्रोत्साहन स्वरूप पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है।